न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या–107 / 2025 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2025 / 172

1. गगनदीप सिंह हाण्डा पुत्र श्री जसविन्दर सिंह हाण्डा, निवासी–122, बल्लभबाडी, गुमानपुरा कोटा राजस्थान
2. उत्तमज्योत सिंह हाण्डा पुत्र श्री अमरपाल सिंह हाण्डा निवासी 116,बल्लभबाडी, गुमानपुरा, कोटा राजस्थान

––अपीलान्ट्स

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजसथान जरिये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. पेरोकार सरकार

प्रकरण संख्या–108 / 2025 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2025 / 185

1. गगनदीप सिंह हाण्डा पुत्र श्री जसविन्दर सिंह हाण्डा, निवासी–122, बल्लभबाडी, गुमानपुरा कोटा राजस्थान
2. उत्तमज्योत सिंह हाण्डा पुत्र श्री अमरपाल सिंह हाण्डा निवासी 116,बल्लभबाडी, गुमानपुरा, कोटा राजस्थान

––अपीलान्ट्स

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजसथान जरिये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1 श्री धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक अपीलान्ट्स
2 पेरोकार सरकार

प्रकरण संख्या–109/2025 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2025/186

1. गगनदीप सिंह हाण्डा पुत्र श्री जसविन्दर सिंह हाण्डा, निवासी–122, बल्लभबाडी, गुमानपुरा कोटा राजस्थान
2. उत्तमज्योत सिंह हाण्डा पुत्र श्री अमरपाल सिंह हाण्डा निवासी 116,बल्लभबाडी, गुमानपुरा, कोटा राजस्थान

––अपीलान्ट्स

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजसथान जरिये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–
1. श्री धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. पेरोकार सरकार

उपरोक्त तीनों अपीलों की विषयवस्तु एक ही होने, पक्षकार भी एक ही होने, अभिभाषक भी एकसमान होने से तीनों में बहस एकसाथ ही सुनी जाकर तीनों अपीलों को कन्सोलीडेट करके एकसाथ ही निर्णय किया जा रहा है ।

निर्णय

दिनांक– 06 .01.2026

उपरोक्त तीनों अपीलों का संक्षेप में विवरण यह है–

1. अपील संख्या 107/2025 में अपीलांट ने तथ्य प्रकट किये है कि ग्राम तेखड़ा में खातेदार हरजीत कौर द्वारा उनके खाते की भूमि खाता संख्या नया 144, पुराना 141 किता–7 रकबा 0.8300 हे0 जिसमें हरजीत कौर का निहित 1/3 अविभाजित हिस्से की भूमि का अपीलांटगण के पक्ष में एक दान पत्र दिनांक 19.4.2021 को आलेखित करवाकर उप पंजीयक प्रथम कोटा में दिनांक 20.4.2021 को पंजीबद्व करवाया था किन्तु तहसीलदार लाडपुरा द्वारा धारा 135 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इन्तकाल नहीं खोला गया है ।
2. अपील संख्या 108/2025 में अपीलांट ने तथ्य प्रकट किये है कि ग्राम तेखड़ा में खातेदार हरजीत कौर द्वारा उनके खाते की भूमि खाता संख्या नया 146, पुराना 117 किता–15 रकबा 4.23 हे0 जिसमें हरजीत कौर का निहित 1/2 अविभाजित हिस्से की भूमि का अपीलांटगण के पक्ष में एक दान पत्र दिनांक 19.4.2021 को आलेखित करवाकर उप पंजीयक प्रथम कोटा में दिनांक 20.4.2021 को पंजीबद्व करवाया था किन्तु तहसीलदार लाडपुरा द्वारा धारा 135 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इन्तकाल नहीं खोला गया है ।
3. अपील संख्या 109/2025 में अपीलांट ने तथ्य प्रकट किये है कि ग्राम तेखड़ा में खातेदार हरजीत कौर द्वारा उनके खाते की भूमि खाता संख्या नया 145, पुराना 114 किता–02 रकबा 0.31 हे0 जिसमें हरजीत कौर का पूर्ण हिस्से की भूमि का अपीलांटगण के पक्ष में एक दान पत्र दिनांक 19.4.2021 को आलेखित करवाकर उप पंजीयक प्रथम कोटा में दिनांक 20.4.2021 को पंजीबद्व करवाया था किन्तु तहसीलदार लाडपुरा द्वारा धारा 135 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इन्तकाल नहीं खोला गया है ।

4. उपरोक्त प्रस्तुत अपीलों में वर्णित दानपत्र का तहसीलदार लाडपुरा ने नामान्तरकरण दर्ज नहीं करने पर यह पृथक–पृथक अपीलें जरिये अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र कुमार श्रीवातव. के पेश की गई है । अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये । वकील अपीलांट एवं पेरोकार सरकार उपस्थित । तीनों अपीलों की विषयवस्तु एक ही होने से एकसाथ ही उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

5. वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम तेखड़ा में नया खाता 144, पुराना खाता 141किता–2 रकबा 0.8300 हे0 जिसमें हरजीत कौर का निहित 1/3 अविभाजित हिस्से, नया 146, पुराना 117 किता–15 रकबा 4.23 हे0 जिसमें हरजीत कौर का निहित 1/2 अविभाजित हिस्से, एवं नया खाता 145, पुराना खाता 114 किता–02 रकबा 0.31 हे0 जिसमें हरजीत कौर का पूर्ण हिस्से की भूमि का दानपत्र अपीलांटगण के पक्ष में दान पत्र दिनांक 19.4.2021 को आलेखित करवाकर उप पंजीयक प्रथम कोटा में दिनांक 20.4. 2021 को पंजीबद्व करवाया था, इस प्रकार अपीलार्थीगण उपरोक्त वर्णित आराजीयात के मालिक व काबिज हो गये है । अपीलार्थीगण के द्वारा कब्जे के अन्तरण की सूचना पटवारी हल्का देवली अरब, भू–अभिलेख निरीक्षक, एवं तहसीलदार लाडपुरा को दी गई उसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 135 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इन्तकाल नहीं खोला जा रहा है । जबकि रजिस्टर्ड दानपत्र, वसीयतनामा, विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खोलने का दायित्व तहसीलदार का है, किन्तु तहसीलदार लाडपुरा द्वारा इन्तकाल नहीं खोला जा रहा है, यदि इस भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदि है तो स्थगन की प्रति दस्तावेज दिखाया जावें । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तीनों अपीलों में वर्णित आराजीयात में इंतकाल खोले जाने हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

6. रेस्पोडेन्ट पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया है कि तीनों अपीलों में हरजीत कौर के खाते की वर्णित भूमि ग्राम तेखड़ा के नया खाता 144, पुराना खाता 141किता–2 रकबा 0.8300 हे0 नया खाता संख्या 146, पुराना खाता 117 किता–15 रकबा 4.23 हे0 एवं नया खाता संख्या 145, पुराना खाता 114 किता–02 रकबा 0.31 हे0 की भूमि पर अपील के संलग्न जमाबंदी संवत 2077 (वर्ष 2020) में अंकित नोट अनुसार राज0 उच्च न्यायालय जयपुर में अपील संख्या CWP/10193/2015 आदेश दिनांक 9.1.2018 व न्यायालय जिला कले. कोटा के आदेश क्रमांक/पी.ए. /2014/3919–20 दिनांक 14.8.2024 एवं कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा के क्रमांक/प.2/राजस्व/2222/4856 दिनांक 28.4.2022 से उपरोक्त खसरा नम्बरान पर बेचान, अन्तरण, भेंट, सम्प.पट्टा जारी करने या अन्य किसी तरह से निस्तारण पर रोक लगाई जाती है का नोट लगाया हुआ है । जमाबंदी की प्रति अपीलांट स्वयं द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत की गई है तथा जमाबंदी में लगे नोट की जानकारी है । ऐसी स्थिति में स्थगन के प्रभावी होते हुए तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामान्तरकरण नहीं खोला गया है । प्रस्तुत अपीलें सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें ।

7. हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत तीनों अपीलों में यह तथ्य प्रकट है कि तीनों अपीलों में हरजीत कौर के खाते की वर्णित भूमि ग्राम तेखड़ा के नया खाता 144, पुराना खाता 141किता–2 रकबा 0.8300 हे0 निहित 1/3 अविभाजित हिस्से , खाता संख्या नया 146, पुराना खाता 117 किता–15 रकबा 4.23 हे0 हरजीत कौर का निहित 1/2 अविभाजित हिस्से एवं खाता संख्या नया 145, पुराना खाता 114 किता–02 रकबा 0.31 हे0 भूमि का अपीलांटगण के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र से दान किया गया था, किन्तु संलग्न जमाबंदी संवत 2077 (वर्ष 2020) में अंकित नोट अनुसार राज0 उच्च न्यायालय जयपुर में अपील संख्या CWP/10193/2015 आदेश दिनांक 9.1.2018 व न्यायालय जिला कले. कोटा के आदेश क्रमांक/पी.ए./2014/3919–20 दिनांक 14.8.2024 एवं कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा के क्रमांक/प.2/राजस्व/2222/4856

दिनांक 28.4.2022 से उपरोक्त खसरा नम्बरान पर बेचान, अन्तरण, भेंट, सम्प.पट्टा जारी करने या अन्य किसी तरह से निस्तारण पर रोक लगाई जाती है का नोट लगाया हुआ है । इस प्रकार अपीलों में वर्णित भूमि के अन्तरण पर रोक लगी होने से तहसीलदार लाडपुरा उक्त दानपत्रों का नामान्तरकरण नहीं खोला है । वर्णित भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में अपील संख्या CWP/10193/2015 विचाराधीन है । वकील अपीलांट द्वारा उक्त रिट के निर्णय / स्थगन खारिज होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । ऐसी स्थिति में वर्णित भूमियों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के विचाराधीन रिट के अन्तिम निस्तारण पर ही निर्णय लिया जा सकेगा । प्रस्तुत अपीलें स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

8. परिणामतः अपीलांट की तीनों अपीले स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज किया जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक .06 .01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर,कोटा
जिला कलक्टर
कोटा